

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 11, 2019/ज्येष्ठ 21, 1941

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 11, 2019/JYAISTHA 21, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2019

सं. 9/2015-2020

विषयः आईटीसी (एचएस) कोड 07031010 के तहत 'ताजा या प्रशीतित प्याज' हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत मिलने वाला लाभ तत्काल प्रभाव से समाप्त करना।

फा. सं. 01/61/180/68/एएम15/पीसी—3.—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (2015—2020) के पैरा 1.03 के तहत और विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13(क) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात के लिए ताजा और प्रशीतित प्याज—एचएस कोड 07031010 के निर्यात के लिए दिनांक 28.12.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 65/2015—2020 के द्वारा यथा अधिसूचित एमईआईएस लाभ को समाप्त करते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) कोड 07031010 के तहत 'ताजा या प्रशीतित प्याज' के निर्यात हेतु जिस दर पर एमईआईएस लाभ विदेश व्यापार नीति के तहत प्रदान किया जाता है उसे तत्काल प्रभाव से मौजूदा 10 प्रतिशत से शून्य (0 प्रतिशत) किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

2831 GI/2019 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th June, 2019

No. 09 /2015-2020

Subject: Withdrawal of the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) benefit for 'Onions Fresh or Chilled' under ITC (HS) code 07031010 with immediate effect.

F. No. 01/61/180/68/AM15/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), and under the provisions of the para 3.13 (a) of the Foreign Trade Policy 2015-20, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby withdraws the MEIS benefit, as notified vide Public Notice No. 65/2015-2020 dated 28.12.2018 for exports of fresh and chilled onions - HS Code 07031010, for exports made on or after the date of publication of this Public notice.

Effect of this Public Notice: The rate at which MEIS benefits for export of 'Onions Fresh or Chilled' under ITC (HS) code 07031010 is granted under the FTP has been made zero (0%) from the current 10% with immediate effect.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.